राजस्थान–सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी, भीलवाड़ा

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005)

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 95/2022 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री रतन लाल तेली पिता लादुलाल तेली निवासी तेलीखेडा, पंचायत पालड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा	**बनाम**	सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा
––अपीलार्थी		––प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

उपस्थित :– प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि।

निर्णय

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

दिनांक : 14.12.2022

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीदार, भीलवाड़ा के विरूद्ध दिनांक 04.11.2022 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क राशि 10/– रूपये के पोस्टल ऑर्डर संख्या 54 एफ 194746 के साथ एक आवेदन पत्र दिनांक 11.09.2022 को सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा को प्रेषित किया, किन्तु सूचना प्राप्त नहीं हुई।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किये गये। प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा द्वारा कार्यालय के पत्रांक 189 दिनांक 13.12.2022 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के तथ्य इस प्रकार हैं –

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही गयी सूचना/जवाब कार्यालय तहसीलदार, भीलवाड़ा के पत्रांक भू0अ0सू0अ0/2022/3130 दिनांक 13.12.2022 से अपीलार्थी/प्रार्थी को जरिये डाक प्रेषित कर दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रेषित कर दिये जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है एवं प्रत्यर्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, भीलवाड़ा को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में आप के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों का निर्धारित समयावधि में ही नियमानुसार निस्तारण करें।

आदेश आज दिनांक 14.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

(आशीष मोदी)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा